



प्रारूप - नौ
(नियम 11 देखिए)

कॉलोनी के विकास की अनुमति

दिनांक 3394.....

अनुमति क्रमांक 02.03.2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए श्री/श्रीमती/मेसर्स राजेश ब्रदर्स भागीदार मुकेश मूलचंदानी आत्मज श्री मनोहरलाल मूलचंदानी निवासी रामावेली बिलासपुर (छ.ग.) मोहल्ला मुंगेली नवागढ़ मार्ग में दीपक राइस मिल के बाजू में ग्राम/वार्ड ठक्कर बापा. नगर मुंगेली तहसील मुंगेली जिला मुंगेली का ख. क्र. 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/8, 221/9, 221/10, 366/3, 366/5 कुल रकबा 3.263 हेक्टेयर ग्राम मुंगेली में स्थित आवासीय कॉलोनी गोकुल धाम. में विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भूखंडों/भवनों का विकास/निर्माण, प्रथमतः करना होगा।
5. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेतु आरक्षित भूमि को नगर पालिका परिषद मुंगेली के पक्ष में शासन नियमानुसार रजिस्ट्री कराना होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मुंगेली

02/3/19